आधुनिक समय के मानवाधिकार जिनका जन्म द्वितिय विश्व युद्ध के पश्चात् माना जाता है, का जन्म मैग्नाकार्टा से प्रारम्भ हुआ। सन् 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ नामक संस्था के जन्म के साथ ही इस मानव अधिकार आंदोलन को गति और नवीन दिशा मिली। विश्व में मानवाधिकारों की स्थापना तथा चेतना जागृत करने में प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत अमेरिकी तथा फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र संघ आदि का प्रमुख स्थान रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में निर्मित मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 तथा नागरिक एवं राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा 1966 एवं आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रसंविदा 1966 में इस प्रयास में वृद्धि की।

मानव अधिकारों की दृष्टि से भारतीय संस्कृति उद्गम काल से ही समृद्धशाली रही है। हड़प्पा एवं मोहन-जोदड़ो काल के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस समय की सामाजिक व्यवस्था में स्त्री शक्ति का बोलबाला था। समाज की प्रमुख इकाई परिवार में, स्त्री प्रधान व्यवस्था विद्यमान थी। आर्यो के भारत में आगमन के साथ ही मानव सभ्यता और विशेषकर भारतीय सभ्यता में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। आर्यो ने ऋगवेद, सामवेद, अथर्ववेद एवं यजुर्वेद की रचना की। इस काल को ऋग्वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इन वेदों में मनुष्य के अधिकारों का उल्लेख न करके, मानव कर्तव्य पर बल दिया गया। एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया गया जिसमें मानव एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करता था।

उत्तर वैदिक काल के आरंभ से ही भारतीय समाज में कुछ बुराईयों ने जन्म ले लिया था। अब सामाजिक व्यवस्था कर्म पर आधारित न होकर जन्म-आधारित हो गई

Scanned by CamScanner

थी। समाज में स्त्रियों की दशा में परिवर्तन आ चुका था। किन्तु इस समय के कुछ शासकों के शासन काल में नागरिकों के अधिकार बहुत अधिक समृद्ध थे। सम्राट अशोक, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन के शासन काल में विदेशी नागरिकों के साथ किये जाने वाले व्यवहार की संहिता के भी प्रमाण मिलते है। भारतीय हिन्दू धर्म ग्रंथ रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र आदि में मानवाधिकारों की उपस्थिति मिलती है।

कालान्तर में मुगलों के आगमन के साथ भारतीय समाज में बहुतेरे दोष उत्पन्न हो गये इस समय मनुष्य के प्राण तथा स्वतंत्रता का बुनियादी अधिकार ही सुरक्षित नही था। समाज में पर्दा प्रथा, बाल-विवाह एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का प्रचलन हो गया था। सोलहवी शताब्दी में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही भारत में मानवाधिकारों के हनन् का एक ओर अध्याय जुड़ गया इस समय भारतवर्ष में स्वतंत्रता के अधिकार की मांग ने जोर पकड़ा और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। स्वतंत्रता पश्चात् 26 नवंबर 1950 को भारत का संविधान अंगीकृत हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से यह पूर्णतः लागू किया गया।

Scanned by CamScanner